राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः—प.17(10)नविवि / ।।/ 2019 जयपुर, दिनांकः 24 JUN 2020

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 19.06.2020 की निरन्तरता में राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा की जाने वाली नीलामी के प्रकरणों में अमानता राशि बिड मूल्य के 5 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत लिए जाने एवं नीलामी पश्चात बिड राशि की 15 प्रतिशत राशि (2 प्रतिशत अमानता राशि के समायोजन पश्चात) 3 दिवस में जमा करायी जानी होगी। संपूर्ण नीलामी राशि मांग पत्र जारी होने के 15 दिवस में जमा कराने पर सफल बोलीदाता को 2 प्रतिशत छूट देय होगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी, नविवि।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

Scanned with CamScanner